कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

द्वितीय तल, नया सचिवालय, विकास भवन, बेली रोड, पटना–800015
दूरभाष :– 0612–2215895, वेबसाइट– krishi.bih.nic.in, ई–मेल– diragri-bih@nic.in, diragri.bih@gmail.com

संचिका/पत्र सं०–07/ले०स्था०ऑपरेटर–07/2019 5622/कृ० पटना, दिनांक 21-11-, 2019

Govt of Bihar
Directorate of Agriculture

प्रेषक :

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

सेवा में :

जिला कृषि पदाधिकारी,
गोपालगंज।

निबंधित

URGENT

COURT CASE

विषय : **CWJC No........../2019 लड्डू कुमार यादव एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि CWJC No........../2019 लड्डू कुमार यादव एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य माननीय उच्च न्यायालय, पटना में वाद दायर किया गया है।

अतः उक्त रिट की अनुलग्नक सहित छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि विषयांकित वाद में कंडिकावार तथ्य विवरणी तैयार कर जिला पदाधिकारी, गोपालगंज से अनुमोदनोपरांत माननीय उच्च न्यायालय, पटना में प्रतिशपथ–पत्र दायर करते हुए विभाग की ओर से भी प्रतिशपथ–पत्र दायर करने की कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। साथ ही दायर प्रतिशपथ की प्रति ओथ संख्या सहित विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

अनुलग्नक–यथावर्णित।

विश्वासभाजन,

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 5622 /कृ० पटना, दिनांक 21-11-, 2019

निबंधित

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, गोपालगंज को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 5622 /कृ० पटना, दिनांक 21-11-, 2019

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं संबंधित को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

प्रभारी पदाधिकारी का नाम–श्री मनोज कुमार, पदनाम–उप निदेशक (शष्य) टाल दियारा चौड़ विकास–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, दूरभाष–9431818709

D:\2019\Ranjeet\Ranjeet.docx

701
13-11-19

प्रधान सचिव

186

Quorum 310985/19
PBRX-2

P BDK2
18/10/19

सचिव, कृषि कोषांग
11 NOV 2019
6661
बिहार, पटना

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE, AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No. of 2019

IN THE MATTER OF:

Laddu Kumar Yadav & [redacted]. ANR. Petitioners

VERSUS

The State of Bihar & Ors. ...... Respondents

Sub: Group: 13, Service matters (other than Education) others, NonGazetted Service

INDEX

SL. No	PARTICULARS	PG. NO.
1.	Synopsis with List of dates	
2.	An Application under Article 226 of the Constitution of India on behalf of the Petitioner along with affidavit.	1-15
3.	**Annexure – 1** A copy of Memo No. 907 dated 12.08.2013 is	16
4.	**Annexure – 2** A copy of Memo No. 445 dated 20.08.2013	17
5.	**Annexure – 3** A true Copy of letter no. 278 dated18.02.2014	18
6.	**Annexure – 4** A copy of Certificate	19-21

(85)

7.	**Annexure – 5** A copy of Identity card	22-23
8.	**Annexure – 6** A copy of Letter dated 10.06.2019	24-27
9.	**Annexure – 7** A copy of chart released by Respondent No. 6	28
	A True typed copy of Representation dt. 17-9-19	29-30
20.	**Vakalatnama**	

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE, AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C No. of 2019

Laddu Kumar Yadav & Ors. ...... **Petitioners**

Versus

The State of Bihar & Ors. ...... Respondents

SYNOPSIS

Prayer: That the petitioner seeks indulgence of this Hon'ble High Court for the following relief/s:

(A) A writ in the nature of mandamus or any other appropriate writ/s, order/s direction/s for the following reliefs:

(i) To restrain the Respondent No. 6 from giving effect to the oral order dated 05.08.209 passed by Respondent No. 6 whereby, he has refused the Petitioners to take works from Agriculture Office, Gopalganj

(ii) To direct the Respondent No. 6 to consider the representation dated 13.08.2019 filed by the Petitioners.

(C) To any other relief/s to which the petitioner is found entitled to.

Dates & Events:-

12.08.2013	Petitioner No. 1 appointed on as a Computer Operator as a daily wager
12.08.2013	Respondent No. 6 vide memo no. 907 has decided to appoint computer operators on daily wages in the office of Agriculture Department, Gopalganj
20.08.2013	Respondent Authority vide Memo No. 445 has decided that those candidates who will pass the exam conducted by the Apt Computer education Centre, they may be selected as a Computer operator in Agriculture Department, Gopalganj.
20.09.2013	Petitioner No. 2 has been appointed as a Computer operator as daily wager
18.02.2014	Respondent No. 5 i.e. District Agriculture officer, Gopalganj has declared allotment of Rs. 50,00,000 for making payment of daily wages

	Computer Operator of the Department.
10.06.2019	Respondent No. 1 i.e. the Principal Secretary, Agriculture Department on 10.06.2019 with regard to deduction of EPF amount of Computers Operators who works on daily wages.
05.08.2019	Respondent No. 6 passed an oral order whereby, he has refused the Petitioners from taking works from the Agriculture Department

Hence this Writ Application.

1

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE, AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C No. of 2019

In the matter of an application under Article 226 of the Constitution of India

A N D

In the matter of:

1. Laddu Kumar Yadav, aged about 26 years, Male, S/o Ramdas Yadav, R/o 307, Ward No. – 24, Chhapiya, Gopalganj, Gopalganj, Bihar – 841428
2. Silki Kumari, Aged about 24 years, Female, D/o Manoj Kumar, R/o Ramnath Sharma Marg, Vidya Nagar, P.S.-Gopalganj, District – Gopalganj - 841428

.... **Petitioners**

Versus

1. The State of Bihar through Principal Secretary Department Agriculture, Government of Bihar, Patna
2. The Director, Department Agriculture, Government of Bihar, Patna
3. The Deputy Director, Department of agriculture, Government of Bihar, Patna
4. The Joint Secretary, Department of Agriculture, Govt. of Bihar, Patna

5. The District Magistrate, Gopalganj

6. The District Agriculture Officer, Gopalganj

.... **Respondents**

To,

The Hon'ble Mr. A. P. Sahi, the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and his Companion Justices of the said Hon'ble Court.

The humble petition on behalf of the petitioner above named.

MOST RESPECTFULLY SHEWETH :-

1. That the petitioner seeks indulgence of this Hon'ble High Court for the following relief/s:

(A) A writ in the nature of mandamus or any other appropriate writ/s, order/s direction/s for the following reliefs:

(i) To restrain the Respondent No. 6 from giving effect to the oral order dated 05.08.2019 passed

by him whereby, he has refused the Petitioners to take works from Agriculture Office, Gopalganj

(ii) To direct the Respondent No. 6 to consider the representation dated 13.08.2019 filed by the Petitioners.

(C) To any other relief/s to which the petitioner is found entitled to.

2. That the substantial points involved in the case are as under:

i. Whether the oral order dated 05.08.2019 made without issuing any notice or giving opportunity of being heard to the Petitioner is sustainable under law?

ii. Whether the action of the Respondent authorities is against the principles of natural justice?

iii. Whether the oral order dated 05.08.2019 is Arbitrary, Mala-fide and unreasonable?

iv. Whether the Respondent No. 6 can pass an oral order?

3. That the petitioner is a citizen of India and he resides under the jurisdiction of this Hon'ble High Court. Thus, he is entitled to invoke the writ jurisdiction of this Hon'ble Court.

4. That it is most respectfully submitted that the Respondent No. 6 vide memo no. 907 dated 12.08.2013 has decided to appoint computer operators on daily wages in the office of Agriculture Department, Gopalganj as the employees of the department are not familiar with the E-mail and computers.

A copy of Memo No. 907 dated 12.08.2013 is annexed herewith and marked as **Annexure-1.**

5. That it is most respectfully submitted that it has been decided by the Respondent Authority vide Memo No. 445 dated 20.08.2013 that those candidates who will pass the exam conducted by the Apt Computer education Centre, they may be selected as a Computer operator in Agriculture Department, Goapalganj.

6. That it is most respectfully submitted that accordingly Shri Laddu Gopal Yadav i.e. Petitioner No. 1, Silki Kumari i.e. Petitioner No. 2 and one Shri Kush Kumar has been declared successful candidates to be appointed as Computer Operators.

A copy of Memo No. 445 dated 20.08.2013 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE – 2**

7. That it is most respectfully submitted that Letter No. 278 of 18.02.2014, the Respondent No. 5 i.e. District Agriculture officer, Gopalganj has declared allotment of Rs. 50,00,000 for making payment of daily wages Computer Operator of the Department.

A true Copy of letter no. 278 dated18.02.2014 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE - 3**

8. That it is most respectfully submitted that the Petitioner No. 1 has been appointed on the post of computer operator on 16.07.2013 and Petitioner No. 2 has been

appointed on 18.09.2013. The same can be substantiating by the certificate and identity card issued by the Department of Agriculture.

A copy of Certificate and Identity card is annexed herewith and marked as **ANNEXURE – 4 and ANNEXURE – 5**

9. That it is most respectfully submitted that a decision was taken in the meeting before the Respondent No. 1 i.e. the Principal Secretary, Agriculture Department on 10.06.2019 with regard to deduction of EPF amount of Computers Operators who works on daily wages.

A copy of Letter dated 10.06.2019 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE – 6**

10. That it is pertinent to mention herein that at one side the Respondent No. 1 has taken decision regarding EPF amount for the betterment of the daily wager worker. Whereas Respondent No. 6 has without any reason vide

oral order dated 05.08.2019, has refused the Petitioners to take works from Agriculture Office, Gopalganj and the same is arbitrary shall be liable to be set aside.

11. That it imminent to mention herein that Petitioners were working as a computer operator on daily wages in the office of Agricultural Department, Gopalganj for last six years.

12. That it is most respectfully submitted that a chart was released by the office of Respondent No. 6 on 28.07.2019, whereby from serial no. 3 and 4, it can be evident that the Petitioners were working since 16.07.2013 and 18.09.2013 respectively.

A copy of chart released by Respondent No. 6 is annexed herewith and marked as **Annexure - 7**

13. That it is pertinent to mention here that on 05.08.2019, Respondent No. 6 orally refused the Petitioners to further work in the office of Agriculture Department Gopalganj.

14. That it is imminent to mention herein that the Petitioners have asked the reasons for not allotting the works to them. Whereas, the Respondent No. 6 has refused to give the Petitioners a single reason.

15. That it is pertinent to mention here that petitioners were appointed in the office of the Agriculture Department as computer operator since the employees of the Department are not well versed with the computers and due to this the works of the department were getting delayed. Because of the aforesaid reason a three member Committee had decided to appoint the Petitioners as a computer operator in the Agriculture Department.

16. That it is most humbly submitted that there is still requirement of the computer operator in the agricultural Department, Gopalganj. Whereas, the Respondent No. 6 in most arbitrary manner has refused to allot works to the petitioners.

17. That it is most respectfully submitted and reiterated that Respondents have never communicated any adverse remarks to the Petitioners. It is most respectfully submitted that the Petitioners has unblemished record of

work for almost 6 years and the Petitioners are fit to perform his duties

18. That it is most humbly submitted that the Agriculture Department, Gopalpganj is an organ or instrumentality of the 'State' and hence falls within Article 12 of the Constitution of India.

19. It is most humbly submitted that the Respondent Authority being an organ of the state may not be permitted to act completely unreasonable, arbitrary, mala-fide, discriminatory and against the public interest.

20. That it is most respectfully submitted that the Respondents Authority, being a member of the state cannot remove the Petitioners from the office of the Agriculture Department, Gopalganj without giving any show cause to the Petitioners and the same is against the Principle of Natural Justice. Thus, the oral order dated 05.08.2019 is liable to be struck down and Petitioners must be permitted to continue their work in Agriculture Department, Gopalganj as computer operator on daily wages.

21. That it is pertinent to mention here that it is well settled Principle that the state cannot remove any of its

employee on the basis of oral order. Whereas, in this instant case no written order has ever been communicated to the Petitioners. Thus, the oral order dated 05.08.2019 is itself arbitrary and against the Principle of Natural Justice.

22. That it is pertinent to mention here that Petitioners have sent a Representation letter to Hon'ble Agriculture Minister, Principal Secretary, Agricultural Director, Commissioner, District Magistrate and Joint Director on 13.08.2019 to consider and set aside the oral order dated 05.08.2019. Whereas, till this date none of the aforesaid dignitaries have ever taken any action against the oral letter dated 05.08.2019. A True Photocopy of representation dt 13.8.19 is annexed and marked as annexure-8 to this application

23. That it is pertinent to mention here that the Petitioners have also sent another representation to consider the earlier representation dated 13.08.2019 which is still pending before the Respondents Authority

24. That the process adopted by the Respondent Authority is completely arbitrary, undefined as well as unreasonable and against the principles of natural justice. Thus, smacks of mala-fide, unfairness and arbitrariness

The Petitioner assails oral order dated 05.08.2019 on the following amongst other grounds:

GROUNDS

A. Because the oral order 05.08.2019 has been made without issuing any notice or providing with opportunity of being heard to the Petitioners

B. Because the oral order is not a valid order in the eyes of law.

C. Because the oral order 05.08.2019 is against the principles of natural justice.

D. Because no adverse remarks has ever been communicated to the Petitioners

E. Because the Agriculture Department has still needs of the computer operators

F. Because no show cause notice has been received by the Petitioner in

G. Because the Petitioners have been appointed by a committee of three members.

H. Because the Petitioners have appointed after duly qualifying the examination held by the APT Computer Education Centre

I. Because the Representation filed by the Petitioners is still pending before the Respondent No. 6.

J. Because irreparable loss and injury would be cause to the Petitioners if they are not given an opportunity to be heard.

K. Because Petitioners have unblemished record of work for almost 6 years and the Petitioners are fit to perform his duties

L. Because the Respondent Authority being an organ of the state may not be permitted to act completely unreasonable, arbitrary, mala-fide, discriminatory and against the public interest.

M. Any other ground/s with the permission of this Hon'ble Court.

25. That the annexures filed with the instant petition are true copies of their respective originals.

26. That the petitioners are left with no option but to move this Hon'ble court by filing this writ petition.

27. That the petitioners have no other effective and efficacious remedy than to move your lordships by way of filing this writ petition for redressal of the grievances.

28. That the petitioner has not moved earlier before this Hon'ble court in this matter.

It is therefore prayed that your lordships may graciously be pleased to allow this writ petition, issue Rule NISI, calling upon the respondents to show – cause as to why the relief prayed in para – 1, of this writ petition may not be allowed in favour of the petitioner.

And / or

Pass such other order / orders as your lordships may deem fit and proper.

AND FOR THIS, THE PETITIONER SHALL EVER PRAY.

14

AFFIDAVIT

I LADDU KUMAR YADAV, aged about 26 years, S/o Ram Das yadav, R/o Village- 307, Ward No. 24 Chhapia, P.S. Gopalganj, Dist- Gopalganj, do hereby solemnly affirm and state as follows:-

1. That I am ____________ of the petitioner No. 2 in this case and as such I am well acquainted with the facts and circumstances of this case.

2. That the contents of this application have been read over and explained to me in Hindi which I have fully understood and the same are true to the best of my knowledge. mention in para- 3, 6, 8, 13, 19 of this petition. And the statement mention in para- 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20 are true to my information.

3. That the annexures are true/photo copies of its respective originals.

[signature]

Laddu Kumar Yadav

13

[redacted]

लड्डू कुमार यादव
Laddu Kumar Yadav

जन्म वर्ष / Year of Birth : 1993
पुरुष / Male

6968 0122 1389

आधार — आम आदमी का अधिकार

[redacted] प्राधिकरण
[redacted] OF INDIA

आधार

पता: S/O रामदास यादव, ३०७, वार्ड न० २४, छपिया, गोपालगंज, गोपालगंज, बिहार, 841428

Address: S/O Ramdas Yadav, 307, Ward No 24, Chhapiya, Gopalganj, Gopalganj, Bihar, 841428

1947 1800 180 1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in | P.O. Box No.1947, Bengaluru-560 001

Laddu Kumar yadav

166

ANNEX-1

[illegible]य, जिला कृषि पदाधिकारी, गोपालगंज।

कार्यालय आदेश

[illegible] गैप के अन्तर्गत विभिन्न योजनाएँ इस जिले में संचालित की जा रही है। योजनाओं के [illegible] एवं कार्यान्वयन अनुदेश एवं लाभान्वितों का चयन एवं लाभान्वितों की सूची को विहित प्रपत्र [illegible] एवं विहित प्रपत्र में प्रगति प्रतिवेदन तैयार कराना एवं योजनाओं के आकार-प्रकार के अनुसार [illegible] कार्यों का सम्पादन ससमय करने हेतु कार्यालय में पदस्थापित पदाधिकारी/कर्मचारियों को कम्प्यूटर [illegible] ई0-मेल इत्यादि परिपूर्ण ज्ञान नहीं रहने के कारण कार्यालय को काफी कठिनाईयों का सामना करना [illegible] है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी महोदय को अवगत कराते हुए कार्यपालक सहायक को प्रतिनियुक्त [illegible] के लिए अनुरोध किया गया था। लेकिन अभी तक प्रतिनियुक्त नहीं किया जा सका। जिसके फलस्वरूप [illegible]लय कार्य बाधित हो रहा है, इसलिए कार्य हित में औपबंधिक एवं दैनिक मजदूरी पर कम्प्यूटर ऑपरेटर के समय-समय पर उपयोग हेतु एक चयन समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है।

1. जिला कृषि पदाधिकारी, अध्यक्ष।
2. परियोजना निदेशक आत्मा, संयोजक।
3. कार्यक्रम समन्वयक कृषि विज्ञान केन्द्र सदस्य।
4. जिला उद्यान पदाधिकारी, गोपालगंज।
5. अनुमंडल कृषि पदाधिकारी (सा0) गोपालगंज।

उक्त समिति का यह कर्तव्य होगा कि कम्प्यूटर से संबंधित योग्य एवं अनुभवी ऑपरेटर का पैनल तैयार कर यथाशीघ्र श्रम विभाग के मजदूरों के मजदूरी के समतुल्य दर का निर्धारण करना एवं कार्यों को सुचारू रूप से सम्पादित करने हेतु आवश्यक सुझाव प्रदान करेंगे।

(हस्ताक्षर) 12/8/13
जिला कृषि पदाधिकारी
गोपालगंज।

ज्ञापांक 907 / कृषि, गोपालगंज, दिनांक 12/08/13 /

प्रतिलिपि – जिला पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
प्रतिलिपि – संयुक्त कृषि निदेशक, सारण प्रमंडल, छपरा को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
प्रतिलिपि – कृषि निदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ सम्प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 12/8/013
जिला कृषि पदाधिकारी
गोपालगंज।

Scanned by CamScanner

A-2

[illegible]

... Computer Education Center ... के द्वारा ... [illegible] ...

... मजदूरी के आधार पर कार्य कराया जा सकता है। इस कार्यालय का पत्रांक 1375 दिनांक 30.09.2013 द्वारा कार्यालय सहायक के लिए स्थापना उप समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी से अनुरोध किया गया था। लेकिन आज तक इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया। जिससे कार्य प्रभावित होने को लेकर भी यह आवश्यक है।

आई0 टी0 मैनेजर एन0आई0सी0 गोपालगंज/ संचालक Apt Computer Education Center के द्वारा संचालित संक्षिप्त परीक्षा के आधार पर निम्न कम्प्यूटर ऑपरेटर को कार्यालय कार्य कराने हेतु अनुशंसा की गयी है।

1) श्री लड्डु कुमार यादव पिता – श्री रामदास यादव ग्राम– छपियाँ वार्ड नं0– 24 पो0+थाना+जिला – गोपालगंज मो0– 9097762022

2) श्री कुश कुमार राम पिता – श्री दिनदयाल राम ग्राम– छपिया वार्ड नं0– 24 पो0+थाना+जिला – गोपालगंज मो0– 7250669915

3) सिल्की कुमारी पिता – श्री मनोज प्रसाद, ग्राम – वार्ड नं0– 20 रामदास शर्मा मार्ग विदया नगर गोपालगंज मो0– 9973440132

प्रस्ताव – 3) चयनित कम्प्यूटर ऑपरेटर से लाभान्वितों की सूची की डाटा इन्ट्री करने व प्रतिवेदन तैयार करने हेतु समय– समय पर आवश्यकतानुसार कार्य लिया जा सकता है। इनको अनुमान्य स्वीकृत मजदूरी पर भुगतान की कार्रवाई की जा सकती है। प्रतिदिन डाटा इन्ट्री किये हुए लाभान्वितों की सूची को जिला कृषि पदाधिकारी गोपालगंज को अवगत कराने का निर्देश दिया गया।

अन्त में जिला कृषि पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा धन्यवाद ज्ञापन कर बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/- 19.08.13 अनुमंडल कृषि पदाधिकारी (सा0) गोपालगंज।	ह0/- 19.8.13 जिला उद्यान पदाधिकारी गोपालगंज।	ह0/- 19/08/13 परियोजना निदेशक आत्मा, गोपालगंज।

कार्यक्रम समन्वयक कृषि विज्ञान केन्द्र,
सिपाया गोपालगज।

ह0/- 19/8/13
जिला कृषि पदाधिकारी,
गोपालगंज।

ज्ञापांक 945 / कृषि, गोपालगंज, दिनांक 20/08/13 /

प्रतिलिपि – अनुमंडल कृषि पदाधिकारी (सा0), गोपालगंज/ जिला उद्यान पदाधिकारी, गोपालगंज/ कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, गोपालगंज/परियोजना निदेशक आत्मा, गोपालगंज/ सहायक मिट्टी रसायनज्ञ मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, गोपालगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 19/8/13
जिला कृषि पदाधिकारी,
गोपालगंज।

Scanned by CamScanner

(64)

18

कार्यालय, जिला कृषि पदाधिकारी, गोपालगंज।

पत्रांक 278 / कृषि, गोपालगंज, दिनांक 18/02/15

Anexure-3

प्रेषक,
जिला कृषि पदाधिकारी,
गोपालगंज।

सेवा में,
सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार पटना।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए कम्प्यूटर ऑपरेटर के पारिश्रमिक भुगतान हेतु राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि सरकार द्वारा कृषि विभाग अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। योजनाओं के भौतिक वित्तीय लक्ष्य कार्यान्वयन अनुदेश, लाभान्वितों की सूची एवं विहित प्रपत्रों में प्रतिवेदन प्रखंड, जिला, प्रमंडल एवं राज्य स्तर पर भेजने हेतु जिला कृषि कार्यालय एवं कृषि विभागीय अन्य कार्यालयों में कम्प्यूटर क्रय किया गया है। जिसके संचालन हेतु कम्प्यूटर ऑपरेटर के स्वीकृत/नियमित पद पर परस्थापना की प्रत्याशा में निदेशानुसार यदा–कदा पारिश्रमिक पर कम्प्यूटर ऑपरेटर रख कर कार्य लिया जाता है। जिला कृषि कार्यालय, गोपालगंज में 3 कम्प्यूटर उपलब्ध है तथा तीनों कम्प्यूटर के संचालन हेतु स्थानीय कम्प्यूटर ऑपरेटर से कार्य लिया जाता है। उनके पारिश्रमिक के भुगतान के क्रम में श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना द्वारा निर्धारित अति कुशल मजदूरी प्रतिदिन @260.00 की दर से योजनाओं के कन्टीजेन्सी मद से भुगतान किया जाता है। कन्टीजेन्सी मद की राशि कम्प्यूटर ऑपरेटर पर व्यय होने के फलस्वरूप अन्य कार्य प्रभावित होता है। इसलिए व्यवसायिक प्रशिक्षण मद में तत्काल मो0 500000.00 की राशि आवंटित करने की कार्रवाई की जाय।

अतः अनुरोध है कि कम्प्यूटर ऑपरेटर के पारिश्रमिक भुगतान हेतु अलग से मो0 500000.00 (पाँच लाख) रूपये व्यवस्थापन से आवंटित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

जिला कृषि पदाधिकारी
गोपालगंज 18/02/15

ज्ञापांक 278 / कृषि, गोपालगंज, दिनांक 18/02/15

प्रतिलिपि – जिला पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ सम्प्रेषित।

प्रतिलिपि – संयुक्त कृषि निदेशक, सारण प्रमंडल, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचनार्थ सम्प्रेषित।

प्रतिलिपि – निदेशक पी0पी0एम0 बिहार पटना की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सम्प्रेषित।

प्रतिलिपि – कृषि निदेशक, बिहार, पटना की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सम्प्रेषित।

जिला कृषि पदाधिकारी
गोपालगंज 18/02/15

Scanned by CamScanner

Annexure - 4

19

163

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, सुश्री शिल्की कुमारी, पिता श्री मनोज प्रसाद, रामनाथ शर्मा मार्ग, वार्ड न0 -- 20, गोपालगंज, दिनांक 18.09.2013 से दैनिक वेतन उपभोगी के रूप में कमप्युटर ऑपरेटर के पद पर जिला कृषि कार्यालय, गोपालगंज में कार्यरत है।

जिला कृषि पदाधिकारी
गोपालगंज।

Scanned by CamScanner

[illegible]

कार्यालय, जिला कृषि पदाधिकारी, गोपालगंज

अनुभव प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री [illegible] कुमार पाण्डेय पिता श्री [illegible] पाण्डेय, ग्राम - [illegible] [illegible] 24 [illegible] गोपालगंज, थाना-गोपालगंज जिला - गोपालगंज ने जिला कृषि कार्यालय, गोपालगंज [illegible] आदेश के रूप में दिनांक 08.07.2014 से दिनांक 30.06.2015 तक [illegible] किया है। [illegible] उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

जिला कृषि पदाधिकारी,
गोपालगंज

Scanned by CamScanner

160

Govt. of Bihar
COLLECTORATE, GOPALGANJ

ID NO. C/Gop_821

Name :- SILKI KUMARI
Designation :- COMPUTER OPRETOR
D.O.B. :- 18.04.1995
Blood Group :- A+
Mob. :-7909951676
Address (O) :- AGRICULTURE DEPARTMENT GOPALGANJ
Address (R) :- VIDYA NAGAR,WARD NO- 21
GOPALGANJ

District ... Gopalganj

59

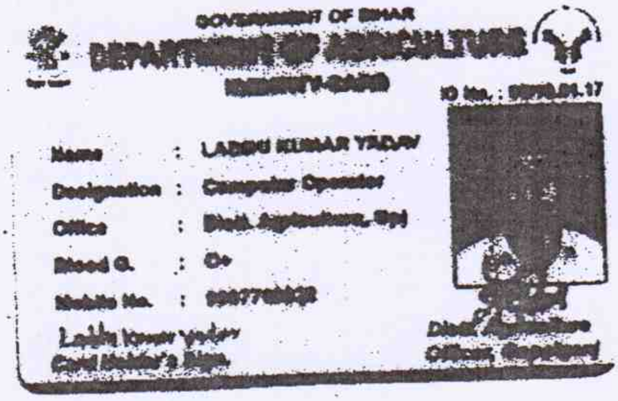
GOVERNMENT OF BIHAR
DEPARTMENT OF AGRICULTURE
[illegible]
ID No. : [illegible].17

Name : LADDU KUMAR YADAV
Designation : Computer Operator
Office : [illegible]
Blood G. : O+
Mobile No. : [illegible]

Laddu kumar yadav
Card Holder's Sign.

Distt. [illegible]
Officer, [illegible]

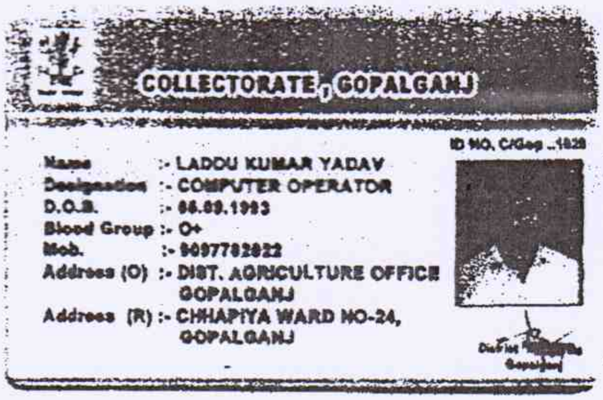
COLLECTORATE, GOPALGANJ
ID NO, C/Gop ..1020

Name :- LADDU KUMAR YADAV
Designation :- COMPUTER OPERATOR
D.O.B. :- 06.09.1993
Blood Group :- O+
Mob. :- 9097782822
Address (O) :- DIST. AGRICULTURE OFFICE GOPALGANJ
Address (R) :- CHHAPIYA WARD NO-24, GOPALGANJ

District [illegible]
Gopalganj

दिनांक— 10.06.2019 को अपराह्न 12:30 बजे श्री सुधीर कुमार, भा०प्र०से० प्रधान सचिव, कृषि विभाग की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अनुपालन से संबंधित आयोजित बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः— अलग से संधारित।

प्रधान सचिव, कृषि विभाग की अध्यक्षता में कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अनुपालन से संबंधित बैठक आहूत की गयी। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत श्रीमती निवेदिता रॉय, उप निदेशक (प्रशासन)—सह—अपर सचिव, कृषि विभाग द्वारा किया गया। साथ ही बैठक की कार्यवाही विधिवत् प्रारंभ करने हेतु प्रधान सचिव, कृषि विभाग से अनुरोध किया गया।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, पटना के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि सी०डब्ल्यू०जे०सी० नं०— 17372/2017 शम्भू शरण सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में एवं इसी वाद से उद्भूत एम०जे०सी० नं०— 2915/2018 में माननीय उच्च न्यायालय मे विभिन्न तिथियों पर हुई सुनवाई में राज्य सरकार को निदेशित किया गया है कि विभिन्न विभागों में कार्यरत सुयोग्य कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के प्रावधानों का लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाय। इसी मामले मे दिनांक 10.04.2019 को पारित न्यायादेश में क्षोभ व्यक्त करते हुए अतिरिक्त कारण पृच्छा दायर करने का निदेश दिया गया है। मामले में सुनवाई की अगली तिथि 03.07.2019 को निर्धारित है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित बैठकों में विभिन्न विभागों द्वारा दिए गए आश्वासन के पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय, पटना में राज्य सरकार द्वारा दायर कारण पृच्छा में अंकित किया गया है कि सभी विभागों द्वारा सुयोग्य कर्मियों को अधिनियम के प्रावधानों से दिनांक 30.06.2019 तक आच्छादित कर दिया जाएगा। उप निदेशक (प्रशासन)— सह— अपर सचिव, कृषि विभाग द्वारा भी बताया गया कि इस संबंध में प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार के पत्र द्वारा विभाग को सूचित किया गया है।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के प्रतिनिधि द्वारा स्पष्ट किया गया कि कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 2 (f) के अनुसार "employee" means any person who is employed for wages in any kind of work, manual or otherwise, in or in connection with the work of [an establishment] and who gets his wages directly or indirectly from the employer, [and includes any person-

(i) employed by or through a contractor in or in connection with the work of the establishment;

(ii) engaged as an apprentice, not being an apprentice engaged under the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961), or under the standing orders of the establishment;]

बैठक में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, पटना के प्रतिनिधि द्वारा यह भी बताया गया कि माननीय न्यायालय के निदेश के आलोक में सभी कर्मियों को Social Security Benefit के तहत लाभ मिलना है।

उनके द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि 15,000/- रू० तक मानदेय पानेवाले दैनिक वेतनभोगी/संविदा/आउटसोर्सिंग कर्मियों को इस योजना से अनिवार्य रूप से आच्छादित कर दिया जाना है। वर्त्तमान में अगर किसी कर्मी को 15,000/- रू० से अधिक मानदेय है, परन्तु यदि योगदान के समय उनका 15,000/- रू० तक ही मानदेय देय था, वैसे कर्मियों को भी आच्छादित किया जाना है। 15,000/- रू० से अधिक मानदेय पर योगदान करने वाले कर्मियों को अधिकतम 15,000/- रू० पर ही EPF कटौती किया जाएगा।

उप निदेशक (प्रशासन)–सह– अपर सचिव, कृषि विभाग द्वारा बताया गया कि मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक– 10.05.2019 को आयोजित बैठक में भी 15000/- रू० तक मानदेय वाले या शुरू में 15,000/- रू० मानदेय पर नियुक्त होने वाले सभी कर्मियों को पी0एफ0 से आच्छादित करने एवं तीन बिन्दुओं पर Focus करने का निदेश प्राप्त हुआ है :–

(i) Establishment का Code generation

(ii) UAN Generate करना

(iii) तत्काल पी0एफ0 राशि का भुगतान सुनिश्चित करना।

बैठक को विस्तारित करते हुए प्रधान सचिव, कृषि विभाग द्वारा समीक्षा प्रारंभ की गई एवं निम्न स्थिति पाया गया :–

1. <u>बामेति :–</u> निदेशक, बामेति द्वारा बताया गया कि बामेति अंतर्गत सभी कार्यालयों में संविदा कर्मियों का पी0एफ0 कटौती से संबंधित कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। बामेति मुख्यालय के कर्मियों का पी0एफ0 की कटौती प्रारंभ कर माह अप्रील एवं मई 2019 में विभाग का contribution भी जमा कर दिया गया है। क्षेत्रीय कार्यालयों में establishment code generation एवं UAN generation का कार्य कराया जा रहा है। इस माह से सभी संबंधित कर्मियों का पी0एफ0 कटौती प्रारंभ कर दिया जाएगा।
2. <u>भूमि संरक्षण :–</u> निदेशक, भूमि संरक्षण द्वारा बताया गया कि भूमि संरक्षण निदेशालय अंतर्गत Outsourcing के माध्यम से संविदा कर्मी कार्यरत हैं, ऐसे में निदेशालय स्तर से कार्रवाई नहीं किया जाना है। प्रधान सचिव, कृषि विभाग द्वारा निदेशित किया गया कि सेवा प्रदाता संस्था से इस संबंध में प्रमाण–पत्र की मांग करें कि सुयोग्य कर्मियों को उक्त प्रावधान से आच्छादित किया जा रहा है अथवा नहीं।

   निदेशक, भूमि संरक्षण द्वारा बताया गया कि सेवा प्रदाता संस्था द्वारा इस संबंध में सूचित किया गया है कि कर्मियों की सेवा उपलबध कराने के एवज में सिर्फ 1% ही कमीशन मिल पाता है एवं पी०एफ० की कटौती 10–13% तक किया जाना है, ऐसे में सेवा प्रदाता संस्था द्वारा कर्मियों का पी०एफ० कटौती में असमर्थता व्यक्त की गई है। प्रधान सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि इसके लिए शासी परिषद की बैठक में प्रस्ताव देकर निर्णय करावें एवं तदनुसार बजट में भी प्रावधान करावें।

3. **<u>बसोका :–</u>** निदेशक, बसोका द्वारा भी बताया गया कि बसोका अंतर्गत भी संविदा कर्मियों की सेवा Outsourcing के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। निदेशक, बसोका को भी इस संबंध में Monitor करने एवं संबंधित संस्था से प्रमाण पत्र की मांग करने के लिए निदेशित किया गया।
4. **<u>पी०पी०एम० :–</u>** निदेशक, पी०पी०एम० द्वारा बाताया गया कि पी०पी०एम० अंतर्गत अलग से संविदा कर्मी कार्यरत नहीं है।
5. **<u>अपर निदेशक (शष्य) :–</u>** अपर निदेशक (शष्य) द्वारा भी बताया गया कि अपर निदेशक (शष्य) कार्यालय में अलग से संविदा कर्मी कार्यरंत नहीं है।
6. **<u>उद्यान :–</u>** निदेशक, उद्यान के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि मुख्यालय स्तर पर 04 (चार) संविदा कर्मी कार्यरत हैं, जिनका UAN Generate करा दिया गया है। प्रधान सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि संविदा पर नियुक्त प्रखंड उद्यान पदाधिकारियों को EPF & MP ACT, 1952 के प्रावधान अंतर्गत आच्छादित किया जाए एवं अविलंब सभी प्रक्रिया पूरी कराकर पी० एफ० की कटौती प्रारंभ किया जाय।
7. **<u>मिट्टी जाँच प्रयोगशाला :–</u>** संयुक्त निदेशक (रसायन), मिट्टी जाँच प्रयोगशाला द्वारा बताया गया कि मिट्टी जाँच प्रयोगशाला अंतर्गत विभाग से संविदा कर्मी नियोजित नहीं हैं।
8. **<u>बिहार राज्य बीज निगम :–</u>** कृषि निदेशक, बिहार को बिहार राज्य बीज निगम के संबंधित कर्मियों के संबंध में समीक्षा कर नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए निदेशित किया गया।

प्रधान सचिव, कृषि विभाग द्वारा निदेशित किया गया कि विभाग अंतर्गत सभी कार्यालयों से सुयोग्य कमियों का EPF की राशि कटौती हेतु बजट में प्रावधान के लिए प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु कृषि निदेशक, बिहार के स्तर से पत्र भेजा जाए।

प्रधान सचिव द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि संविदा कर्मी यदि Outsourcing से आए है एवं वैसे कर्मियों को मानदेय का भुगतान संबंधित संस्था द्वारा किया जाता है, तो संबंधित कर्मियों के EPF कटौती की कार्रवाई उक्त संस्था द्वारा किया जाएगा। विभाग के संबंधित कार्यालय प्रधान इसका Monitoring करेंगे एवं सस्था से EPF कटौती किए जाने के संबंध में प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लेंगे।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला स्तर पर गठित पैनल से क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यपालक सहायक की सेवा उपलब्ध कराई गई है एवं वैसे कर्मियों का मानदेय भुगतान संबंधित कार्यालय द्वारा किया जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में मार्गदर्शन की आवश्यकता है। प्रधान सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि जिस कार्यालय से कर्मियों को मानदेय भुगतान होता है, वहाँ के कार्यालय प्रधान संबंधित कर्मियों का EPF कटौती से संबंधित कार्रवाई करेंगें।

अपर निदेशक (शष्य), बिहार पटना द्वारा बताया गया कि विभाग से EPF कटौती संबंधी पत्र निर्गत के पश्चात् कई जिला कृषि पदाधिकारियों द्वारा दूरभाष पर किसान सलाहकारों के संबंध में पृच्छा कर पी०एफ० कटौती हेतु मार्गदर्शन की मांग की जा रही है। प्रधान सचिव, कृषि विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया कि किसान सलाहकार का चयन केवल Advisory farmers के रूप में हुई है। किसान सलाहकार संविदा कर्मी नहीं हैं। इस प्रकार किसान सलाहकारों का पी०एफ० राशि की कटौती के संबंध में राज्य सरकार से निर्णय के उपरान्त आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

उप निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव द्वारा बताया गया कि राज्य बागवानी मिशन अंतर्गत कृषि निदेशालय/ कृषि विभाग में कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर का EPF कटौती करने हेतु आदेश निर्गत है। प्रधान सचिव, कृषि विभाग द्वारा निदेशित किया गया कि राज्य बागवानी मिशन अंतर्गत नियोजित उन्हीं कर्मियों का EPF कटौती विभाग स्तर से किया जाए, जिनका मानदेय का भुगतान विभाग द्वारा किया जा रहा है।

प्रधान सचिव द्वारा विभाग अंतर्गत सभी कार्यालयों को सुयोग्य कर्मियों का पी०एफ० कटौती की कार्रवाई करते हुए पूर्व प्रेषित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के लिए निदेशित किया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

19.6.2019

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–07 / ले०स्था०विविध(संविदा)–06 / 2019 2980 कृ०,पटना,दिनांक 19/06/2019

प्रतिलिपि :– कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, पटना/प्रशासक, बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद (विघटित), पटना/निदेशक (प्रशासन)–सह– अपर सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/अपर निदेशक (शष्य), बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, बिहार, पटना/निदेशक, बसोका, बिहार, पटना/निदेशक, बामेती, बिहार, पटना/नियंत्रक, माप–तौल, बिहार, पटना/सभी संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग, बिहार /सभी जिला कृषि पदाधिकारी, बिहार/प्रभारी पदाधिकारी, आई० टी० कोषांग, कृषि विभाग/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग/ कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.6.2019

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–07 / ले०स्था०विविध(संविदा)–06 / 2019 2980 कृ०,पटना,दिनांक 19/06/2019
प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, I, जोनल ऑफिस, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.6.2019

प्रधान सचिव।

D:\Prakash\2019\June\12 06 2019 19.06.19

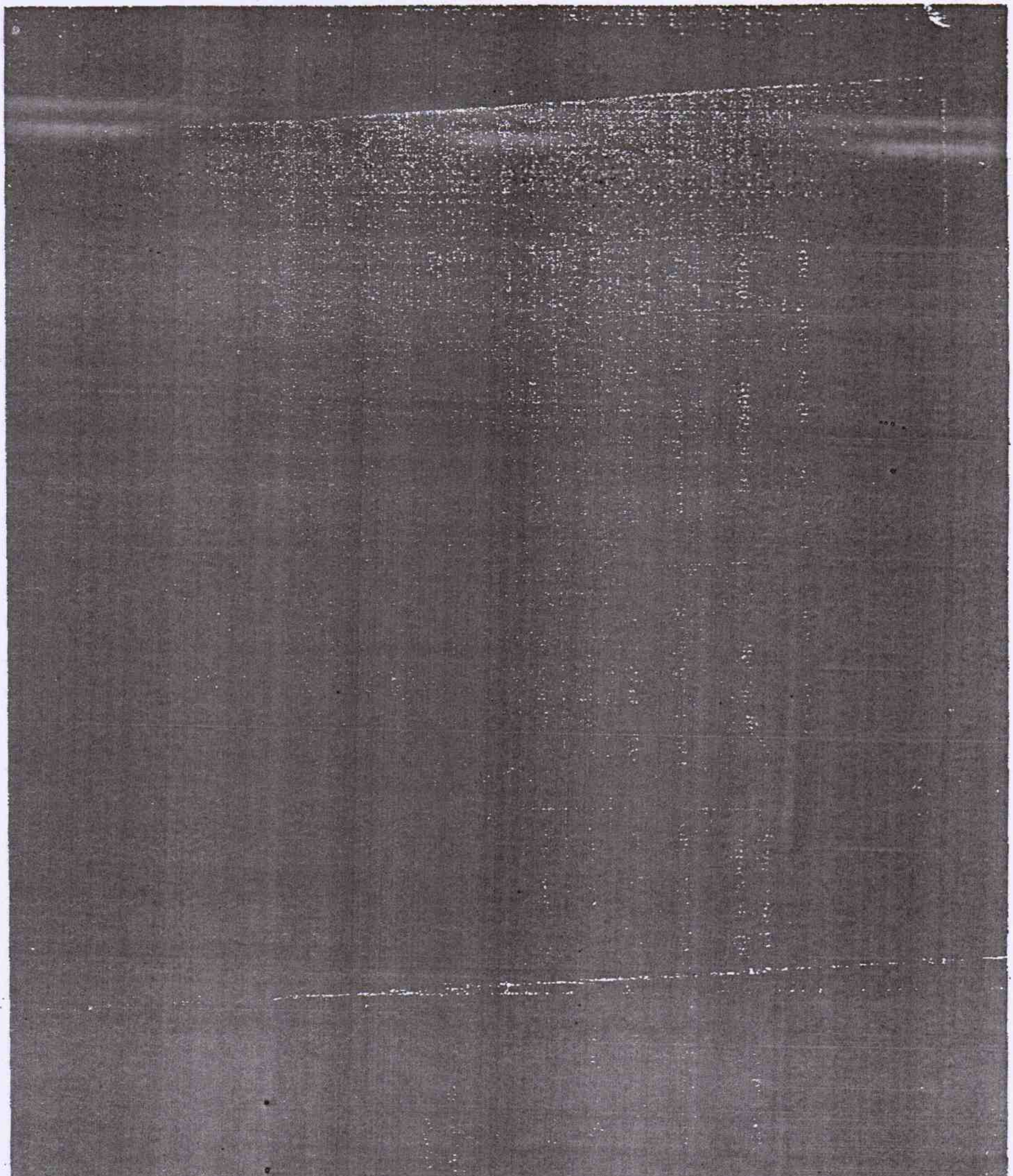

29 (53

जिला कृषि पदाधिकारी
गोपालगंज

विषय :- कार्य लेने से मना करने के संबंध में।

महाशय,

निवेदनपूर्वक कहना है कि हमलोग विगत 6 वर्षो से जिला कृषि कार्यालय, गोपालगंज में कम्प्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्य कर रहे है। हमारी नियुक्ति सरकार के दिशा–निर्देश के आलोक में कृषि विभाग द्वारा गठित त्रिसदस्सीय समिति द्वारा वर्ष 2013 में दैनिक वेतनभोगी कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर जिला कृषि कार्यालय गोपालगंज में हुई थी। हमने दिनांक 16.03.2013 (लड्डू कुमार यादव) एवं दिनांक 18.09.2013 (शिल्की कुमारी) क्रमशः जिला कृषि कार्यालय, गोपालगंज में अपना योगदान दिया था, तब से आज तक नियमित रूप से अपने कर्त्तव्यों का निर्वाहन हम करते आ रहे है।

दिनांक 05.08.2019 को आपके द्वारा हमलोगों से कार्य लेने से मना कर दिया गया जबकि हमलोगों को दैनिक वेतनभोगी के रूप में जिला कृषि कार्यालय द्वारा गठित त्रिसदस्यीय समिति द्वारा कार्य की आवश्यकता के मद्वेनजर रखा गया था। आपके द्वारा कार्य नहीं लेने से मना करने के कारण हमलोगों तथा हमलोगों के परिवार के समक्ष भुखमरी की समस्या पैदा हो गयी है। हमलोगों से कार्य नहीं लेने हेतु न हमलोगों को कोई लिखित सूचना दी गयी और न सूचित किया गया। केवल मौखिक रूप से आपके द्वारा कार्य लेने से मना कर दिया गया। जबकि कार्यालय को कृषि संबंधी कार्य की अधिकता को देखते हुए कम्प्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता है तथा उल्लेखनीय है कि हमलोग पिछड़े वर्ग से आते है, जबकि सरकार का मुख्य उदेश्य पिछड़े वर्ग के लोगो को ऊपर उठाना है। लेकिन आपके द्वारा हमलोगों को अपने कार्य से हटाकर सरकार के दिशा–निर्देश के विपरीत कार्य किया गया है। जबकि हमलोगो की EPF कटौती हेतु कृषि निदेशक, बिहार, पटना को प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 2980 दिनांक 19.06.2019 के आलोक मे विहित प्रपत्र से प्रतिवेदन भवदीय द्वारा भेजा गया है।

अतः भवदीय से सादर अनुरोध है कि हमलोगों से कम्प्यूटर ऑपरेटर संबंधी कार्य लेने की कृपा की जाय ताकि हमलोगों के परिवार को भुखमरी से निजात मिल सके।

UK
13-8-19

विश्वासभाजन

1. शिल्की कुमारी
2. Laddu Kumar yadav

कम्प्यूटर ऑपरेटर,
जिला कृषि कार्यालय,
गोपालगंज।

152

30

जिला कृषि पदाधिकारी,
गोपालगंज।

विषय :- कार्य लेने से मना करने के संबंध में।

महाशय,

निवेदनपूर्वक कहना है कि हमलोग विगत 6 वर्षो से जिला कृषि कार्यालय, गोपालगंज मे कम्प्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्य कर रहे हैं। हमारी नियुक्ति सरकार के दिशा–निर्देश के आलोक में कृषि विभाग द्वारा गठित त्रिसदस्सीय समिति द्वारा वर्ष 2013 में दैनिक वेतनभोगी कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर जिला कृषि कार्यालय गोपालगंज में हुई थी। हमने दिनांक 16.03.2013 (लड्डू कुमार यादव) एवं दिनांक 18.09.2013 (शिल्की कुमारी) क्रमशः जिला कृषि कार्यालय, गोपालगंज में अपना योगदान दिया था, तब से आज तक नियमित रूप से अपने कर्त्तव्यों का निर्वाहन हम करते आ रहे है।

दिनांक 05.08.2019 को आपके द्वारा हमलोगों से कार्य लेने से मना कर दिया गया जबकि हमलोगों को दैनिक वेतनभोगी के रूप में जिला कृषि कार्यालय द्वारा गठित त्रिसदस्यीय समिति द्वारा कार्य की आवश्यकता के मद्देनजर रखा गया था। आपके द्वारा कार्य नहीं लेने से मना करने के कारण हमलोगों तथा हमलोगों के परिवार के समक्ष भुखमरी की समस्या पैदा हो गयी है। हमलोगों से कार्य नहीं लेने हेतु न हमलोगों को कोई लिखित सूचना दी गयी और न सूचित किया गया। केवल मौखिक रूप से आपके द्वारा कार्य लेने से मना कर दिया गया। जबकि कार्यालय को कृषि संबंधी कार्य की अधिकता को देखते हुए कम्प्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता है तथा उल्लेखनीय है कि हमलोग पिछड़े वर्ग से आते है, जबकि सरकार का मुख्य उदेश्य पिछड़े वर्ग के लोगो को ऊपर उठाना है। लेकिन आपके द्वारा हमलोगों को अपने कार्य से हटाकर सरकार के दिशा–निर्देश के विपरीत कार्य किया गया है। जबकि हमलोगो की EPF कटौती हेतु कृषि निदेशक, बिहार, पटना को प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 2980 दिनांक 19.06.2019 के आलोक मे विहित प्रपत्र से प्रतिवेदन भवदीय द्वारा भेजा गया है।

अतः भवदीय से सादर अनुरोध है कि हमलोगों से कम्प्यूटर ऑपरेटर संबंधी कार्य लेने की कृपा की जाय ताकि हमलोगों के परिवार को भुखमरी से निजात मिल सके।

अनु०→ कार्य करने से संबंधित कागजात।

विश्वासभाजन

1. शिल्की कुमारी
2. Laddu Kumar yadav

कम्प्यूटर ऑपरेटर,
जिला कृषि कार्यालय,
गोपालगंज।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सम्प्रेषित।
प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सम्प्रेषित।
प्रतिलिपि :- कृषि निदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सम्प्रेषित।
प्रतिलिपि :- आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सम्प्रेषित।
प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सम्प्रेषित।
प्रतिलिपि :- संयुक्त निदेशक (शष्य), सारण प्रमंडल, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सम्प्रेषित।